

## क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम: नवजात शिशु स्थिरीकरण ईकाई

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): नवजात शिशु स्थिरीकरण ईकाई की परिचालन लागत

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक-2 के आधार पर): A.2.2.1C

**कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण :**

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के दिशा निर्देश के अनुसार वैसे सभी संस्थानों जहां प्रसव होता है वहां न्यु बॉन कार्नर स्थापित करना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त जिला में जिला अस्पतालों में SNCU की स्थापना की जानी है । भारत सरकार के निदेशानुसार सभी FRU में Newborn Stabilization Unit की स्थापना की जानी है। राज्य में कुल 149 FRU में जिसमें कुल 37 जिला अस्पतालों पर SNCU की स्थापना की जा रही है । शेष 112 FRU में से 40 FRU में NBSU की स्थापना विगत वित्तीय वर्ष 2011-12 में किया जाना था । अपरिहार्य कारणों से गत वित्तीय वर्ष में 40 NBSU की स्थापना नहीं की जा सकी है । वित्तीय 2012-13 में उक्त 40 NBSU की स्थापना की जानी है जिसके संचालन हेतु 175000 रुपये की राशि आवंटित की जा रही है ।

इकाई राशि (रु० में) :175000/-NBSU

**वित्तीय दिशा निर्देश :**

इसके अंतर्गत संबंधित वैसे उपकरणों के रखरखाव, जिसका वारंटी एवं AMC(Annual Maintainance Contract) समाप्त हो गया हो तथा यदि आवश्यक हो तो इसकी मरम्मत हेतु का परिवहन आदि एवं नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई(NBSU) के संचालन हेतु आवश्यक Consumbles गतिविधियों में इसका व्यय किया जाएगा। जिला स्वास्थ्य समिति उन्हीं स्वास्थ्य संस्थानों को यह राशि आवंटित करेगी जहां NBSU कार्यरत है । किसी भी परिस्थिति में इस राशि को जिला स्तर पर आवंटित नहीं किया जाएगा । इस गतिविधियों के अंतर्गत किए गए कार्यों का भुगतान बिहार सरकार के वित्तीय नियमावली 2005 के अनुसार किया जाएगा ।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो ( पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(क) SHSB/MCH/106/2010/32846, दिनांक: 28/12/2011

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : गौरव कुमार, उपनिदेशक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य  
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9431005972

S Kumar



